झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग।

आ०सं०–8 / ज०सं०(नि०)सु०परि०–01 / 14:–.......................................राँची, दिनांकः–.......................

आदेश

श्री सुरेश राम, तत्कालीन पुनर्वास पदाधिकारी–02, सुवर्णरेखा परियोजना, चांडिल के पद पर पदस्थापन अवधि में पुनर्वास अनुदान मद की भुगतान प्रक्रिया में सरकारी नियमों की अनदेखी कर विपत्र में शामिल हुए कुछ लाभुकों को कोषागार से विपत्र पारित होने के पूर्व ही भुगतान करने तथा कुछ लाभुकों का जिनका नाम विपत्र में शामिल था उन्हें विपत्र पारित होने के बाद भी भुगतान करने में विलंब करने संबंधी आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं०–2057 दिनांक–06.03.14 के द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

2. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की गहन समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी।

3. सम्यक समीक्षोपरांत श्री सुरेश राम, तत्कालीन पुनर्वास पदाधिकारी–02, सुवर्णरेखा परियोजना, चांडिल को उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए निम्न दंड देने का निर्णय लिया गया है:–

क) निन्दन

ख) एक वेतन वृद्धि पर असंचायत्मक प्रभाव से रोक।

अतएव एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह0 / –
(डॉ० लम्बोदर महतो)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः– 4321 / राँची, दिनांकः– 7-10-14 /

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) झारखंड, राँची / कोषागार पदाधिकारी, सरायकेला–खरसांवा / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार डोरंडा, राँची / प्रशासक सुवर्णरेखा परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर / अधीक्षण अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान अंचल–1, राँची / संयुक्त सचिव (प्र०) जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची / श्री सुरेश राम, निवर्त्तमान पुनर्वास पदाधिकारी–02, सुवर्णरेखा परियोजना, चांडिल संप्रति–सहायक अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान अंचल–1, एवं वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7/10/14

(डॉ० लम्बोदर महतो)
सरकार के अवर सचिव।
7.10.14